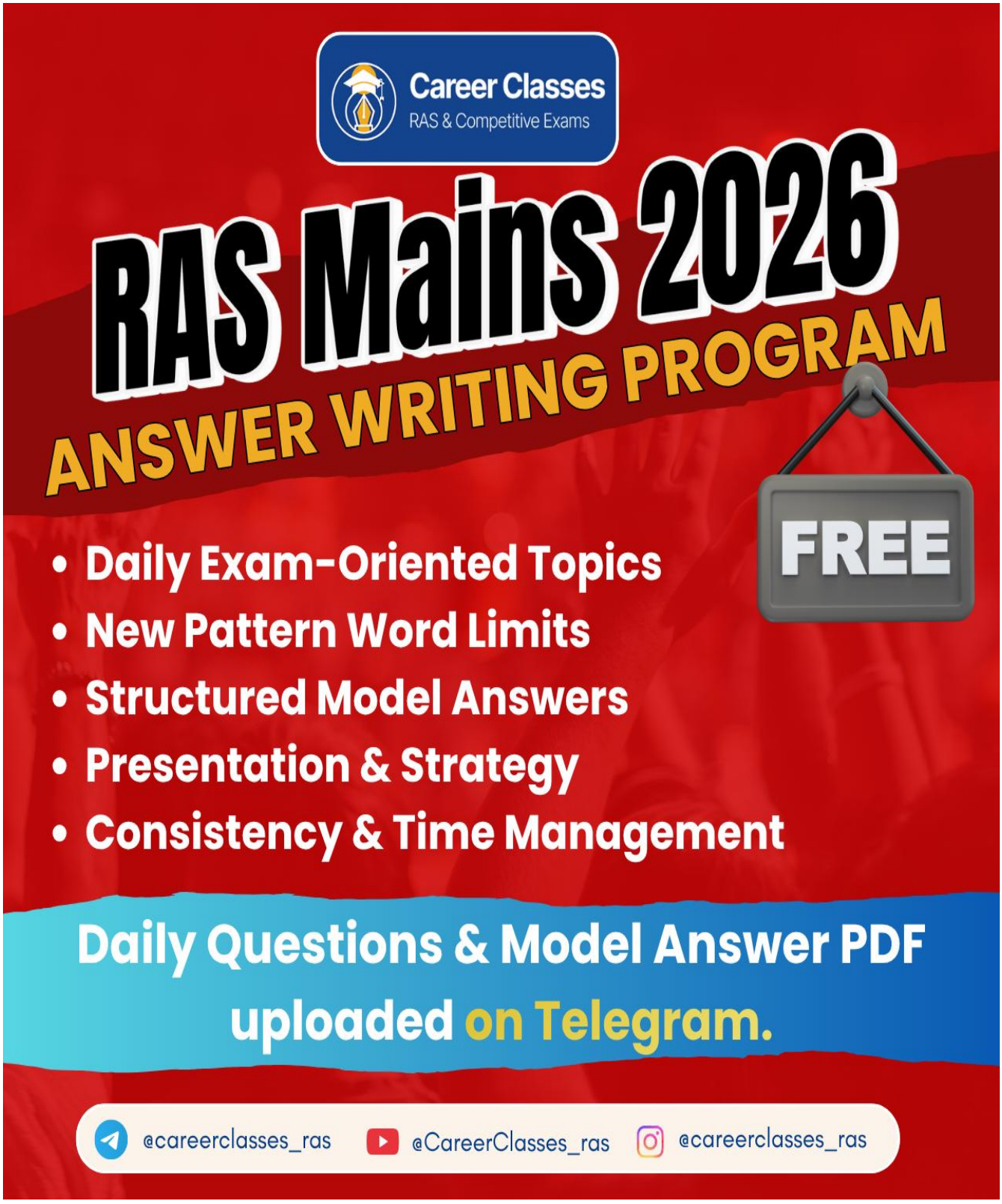
Career Classes
RAS & Competitive Exams
RAS Mains 2026
ANSWER WRITING PROGRAM
FREE
• Daily Exam-Oriented Topics
• New Pattern Word Limits
• Structured Model Answers
• Presentation & Strategy
• Consistency & Time Management
Daily Questions & Model Answer PDF
uploaded on Telegram.
@careerclasses_ras
@CareerClasses_ras
@careerclasses_ras

CCR RAS Mains 2026 - AWP

★ **विषय: भारतीय राजव्यवस्था (Gs Paper-3)**
★ **Topic : दल-बदल विरोधी कानून**

Join Telegram - @careerclasses_ras

प्रश्न: भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 'विधायी दल के विलय' (Merger of Legislative Party) के प्रावधान का आलोचनात्मक संक्षिप्त विवरण दीजिए।(5 अंक / 50 शब्द)

- संवैधानिक आधार: 52वें संशोधन (1985) की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार, यदि किसी दल के 2/3 निर्वाचित सदस्य दूसरे दल में विलय करते हैं, तो वे अयोग्यता से सुरक्षित हैं।
- राघव चड्ढा मामला (2026): 'आप' के 10 में से 7 सांसदों (70%) का भाजपा में विलय इस कानूनी सीमा को पार करता है, जो सामूहिक दल-बदल को तकनीकी वैधता प्रदान करता है।
- 91वां संशोधन (2003): इसने पूर्ववर्ती 'विभाजन' (1/3 सदस्य) के प्रावधान को समाप्त कर केवल 2/3 के सामूहिक विलय को ही मान्यता दी है।

प्रश्न: "दल-बदल विरोधी कानून व्यक्तिगत अवसरवाद को रोकने में सफल रहा है, किंतु सामूहिक दल-बदल की चुनौती आज भी लोकतांत्रिक शुचिता के समक्ष प्रश्नचिह्न खड़ी करती है।" राघव चड्ढा प्रकरण के विशेष संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।(10 अंक / 150 शब्द)

भूमिका: भारतीय राजनीति में 'आया राम-गया राम' की संस्कृति को समाप्त करने हेतु 52वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हाल ही में राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का 'आम आदमी पार्टी' से भाजपा में विलय इस कानून की अंतर्निहित सीमाओं को उजागर करता है।

कानून की प्रभावशीलता एवं वर्तमान चुनौतियां:

- व्यक्तिगत बनाम सामूहिक विचलन: यह कानून एक अकेले सांसद के दल-बदल को तो रोकता है, परंतु सामूहिक रूप से (2/3 बहुमत) दल बदलने को 'विलय' मानकर संरक्षण प्रदान करता है। इसे अक्सर 'रिटेल' के बजाय 'होलसेल' दल-बदल की संज्ञा दी जाती है।

- लोकतांत्रिक जनादेश का ह्रास: मतदाता किसी विशिष्ट विचारधारा और दल के चुनाव चिह्न को वोट देता है। राघव चड्ढा जैसे सामूहिक विलय के मामलों में मतदाता की पसंद और लोकतांत्रिक जवाबदेही गौण हो जाती है।
- 91वें संशोधन (2003) की सीमाएं: यद्यपि इस संशोधन ने 1/3 (विभाजन) को हटाकर 2/3 (विलय) की शर्त को और कड़ा किया, फिर भी यह वर्तमान में राजनैतिक अस्थिरता को पूर्णतःरोकने में विफल रहा है।
- पीठासीन अधिकारी की भूमिका: अयोग्यता संबंधी निर्णयों में पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) की निष्पक्षता और निर्णय में होने वाली अत्यधिक देरी कानूनी प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कम करती है।

आगे की राह

- दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के अनुसार, अयोग्यता का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा लिया जाना चाहिए।
- विधि आयोग का सुझाव है कि केवल सरकार गिराने या अविश्वास प्रस्ताव के समय ही 'व्हिप' (Whip) अनिवार्य होना चाहिए, ताकि सांसदों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति बची रहे।

निष्कर्ष:

राघव चड्ढा प्रकरण यह सिद्ध करता है कि केवल संख्यात्मक सीमाएं (2/3) बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना और विलय की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है ताकि तकनीकी खामियों का उपयोग कर जनमत का अपमान न हो

CAREER
CLASSES

दैनिक भास्कर जयपुर 25-04-2026

ऑपरेशन लोटस • राघव चड्ढा सहित 7 राज्यसभा सांसदों ने आप छोड़ी

हम आपके सात नहीं

विलय... चड्ढा बोले- हमारे साथ पार्टी के दो तिहाई सांसद, भाजपा में विलय कर रहे

आरोप... आप सिद्धांतों से भटकी, अब देश नहीं, निजी हितों के लिए काम कर रही है

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली/चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक सहित 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। चड्ढा ने कहा कि आप के दो तिहाई सांसदों के समूह ने भाजपा में विलय कर लिया है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर लिखा, 'राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का भाजपा में स्वागत है। साथ ही हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए शुभकामनाएं।' दूसरी तरफ, आप नेताओं ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पंजाब सरकार का कामकाज रोकने की साजिश है।

इससे पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा ने कहा, 'आप सिद्धांतों से भटक गई। पार्टी देश के लिए नहीं, निजी हितों के लिए काम कर रही है। कुछ वर्षों से महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही व्यक्ति हूं। आज आप से अलग होकर जनता के साथ मिलकर काम करने की घोषणा करता हूं।' उन्होंने कहा कि भाजपा में विलय के लिए सातों सांसदों के दस्तखत वाले पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंपे जा चुके हैं। हालांकि, बाकी चार सांसद खुलकर सामने नहीं आए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर आप छोड़ने की घोषणा की।

ईडी के छापे के 10वें दिन ही भाजपा में गए मित्तल

अध्यक्ष नितिन नवीन ने लड्डू खिलाकर भाजपा में स्वागत किया।

मालीवाल बोलीं- केजरीवाल के संरक्षण में आप में भ्रष्टाचार

स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल के संरक्षण में आप में भ्रष्टाचार बढ़ा। पंजाब के साथ धोखेबाजी-लूट हो रही है। पार्टी छोड़ रही हूं।

केजरीवाल ने कहा- पंजाबियों के साथ भाजपा ने धोखा किया

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया- भाजपा ने फिर पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है।

आप ने 2 अप्रैल को चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया था। उनकी जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के संस्थापक और चांसलर अशोक मित्तल को नियुक्ति दी थी। इसी बीच, 15 अप्रैल को ईडी ने फेमा से जुड़े मामले में मित्तल के प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। छापों की कार्रवाई 17 अप्रैल को समाप्त हुई। ईडी के छापों के 10वें दिन ही मित्तल भाजपा में शामिल हो गए। आप के लिए ये इसलिए भी झटका है, क्योंकि चड्ढा पर कार्रवाई करते हुए पार्टी ने मित्तल पर भरोसा जताया था। लेकिन, नेतृत्व को उनकी योजनाओं की भनक भी नहीं लग पाई।

भास्कर इनसाइट

पंजाब में 10 माह में चुनाव, राज्यसभा से शुरू हुआ ऑपरेशन-2027, भाजपा के 3 नेता बने सूत्रधार

सुखबीर सिंह बाजवा | चंडीगढ़.

दिल्ली की हार से उबरने के लिए आप इन दिनों गुजरात में पांव जमाने और पंजाब में सत्ता बचाने की कोशिशों में जुटी है। इसी बीच, पार्टी इतिहास की सबसे बड़ी टूट हो गई। यह पंजाब के 2027 के चुनाव की तैयारी है, जिसमें 10 माह भी नहीं बचे। राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 पंजाब और 3 दिल्ली से हैं। पार्टी छोड़ने वाले 6 सांसद पंजाब से हैं। अब आप के रास में संजय सिंह, एनडी गुप्ता और पंजाब के बलबीर सिंह सीचेवाल बचे हैं। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने ऑपरेशन 2027 राज्यसभा से शुरू किया। वे नेता चिह्नित किए, जो बड़ा प्रतीकात्मक संदेश दे सकते थे। कहानी तब शुरू हुई, जब राघव चड्ढा उपनेता पद से हटाए गए।

शेष | पेज 11

भास्कर किस्सा

मां को 6 महीने मनाते रहे... फिर लड़ा चुनाव

2019 में जब राघव चड्ढा को पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मिला तो सबसे पहले मां अलका चड्ढा से बात की। मां नहीं चाहती थीं कि बेटा चुनावी राजनीति में जाए। उन्हें मनाने में 6 महीने लगे। आखिरकार मां ने दो शर्तें रखीं। पहली- वे सीए प्रोफेशन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा- राजनीति से पैसा नहीं कमाएंगे। बता दें कि राघव ने पहले प्रयास में सीए पास कर लिया था।

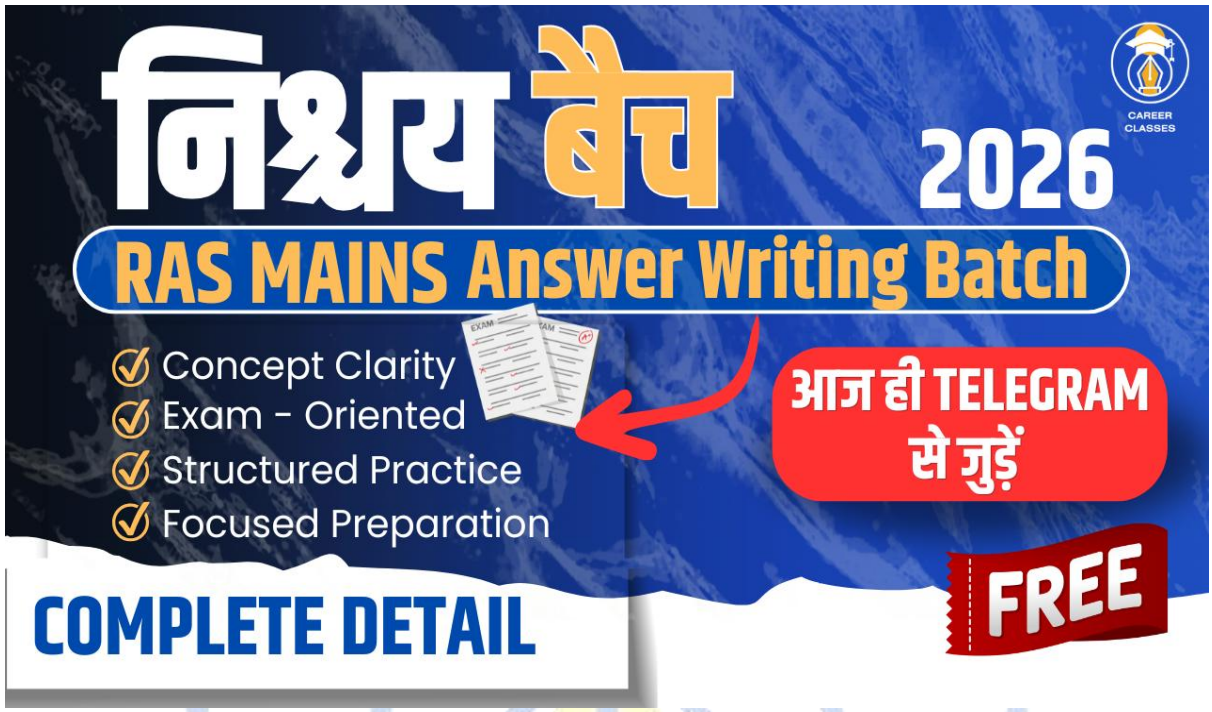

Join Telegram - @careerclasses_ras

CAREER
CLASSES